

न्यायालय—सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी—सिराज अली)

आप.प्रकरण.क.—93 / 1993
 संस्थित दिनांक—02.09.1993

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

फागूसिंह पिता भूखासिंह गोंड, उम्र—50 वर्ष,

ग्राम कटंगी, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—02.05.2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—15.01.1993 को शाम 5:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत मलाजखण्ड अस्पताल से फरियादी सुन्दरलाल के आधिपत्य की साईकिल कीमती 500/—रु. को उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी सुन्दरलाल ने दिनांक—15.01.1993 को पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम बिरसा में रहता है, उक्त दिनांक को वह मलाजखण्ड अस्पताल में अपनी साईकिल रखकर दवाई लेने गया था, वहां से वापस आने पर उसे साईकिल नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर मलाजखण्ड पुलिस द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अपराध क्र.—06/1993 अंतर्गत भा.द.वि. की धारा—379 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये और विवेचना के दौरान आरोपी फागू से साईकिल जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा—379 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण

का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना व गलती होने से माफी दिया जाना प्रकट किया है तथा बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.01.1993 को शाम 5:00 बजे थाना मलाजखण्ड अंतर्गत मलाजखण्ड अस्पताल से फरियादी सुन्दरलाल के आधिपत्य की साईकिल कीमती 500/-रु. को उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी किया ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— प्रार्थी सुन्दरलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह मलाजखण्ड ताम्र परियोजना में काम करता है। उसके द्वारा मलाजखण्ड अस्पताल में साईकिल लगाकर ईलाज कराने के लिए जाने के बाद चोरी हो जाने के संबंध में रिपोर्ट मलाजखण्ड थाने में दर्ज कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का कहना है कि चोरी के समय साईकिल की कीमत करीब 400/-रुपये थी। साईकिल हीरो कंपनी की थी। मलाजखण्ड थाने वालों ने उसे बाद में उसे साईकिल दिया था। इस संबंध में सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-4 में उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने आर्टिकल 'ए' साईकिल की खरीदी रसीद उससे जप्त किया था। मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिसवालों को घटनास्थल बताया था। घटना के संबंध में पुलिसवालों ने उससे पूछताछ की थी।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सूचना दी थी और उसे आरोपी को देखने का मौका नहीं आया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब पुलिसवालों ने उसे सूचना दिए तो वह साईकिल के कागज लेकर निरपत के साथ थाना गया था। साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में फरियादी के रूप में उसके आधिपत्य की साईकिल चोरी होने के तथ्य का समर्थन किया है।

7— निरपतलाल (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसे घटना के समय सुंदरलाल ने यह बात बताई थी कि जब वह दवा लेने मलाजखण्ड अस्पताल गया था तो उसकी हीरो कंपनी की साईकिल किसी ने चुरा लिया है। पुलिसवाले जांच के लिए आए थे तथा सुंदरलाल से साईकिल खरीदी की रसीद जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने में किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने घटना के समय फरियादी सुंदरलाल के आधिपत्य से साईकिल की चोरी होने के तथ्य का समर्थन किया है। इस प्रकार फरियादी सुंदरलाल (अ.सा.2) एवं उक्त साक्षी के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि फरियादी सुंदरलाल के आधिपत्य से साईकिल की चोरी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गई थी।

8— प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि उक्त चोरी आरोपी के द्वारा ही की गई थी। इस संबंध में जप्ती अधिकारी की कार्यवाही महत्वपूर्ण है। मामलों में अज्ञात आरोपी के द्वारा चोरी किये जाने के पश्चात् साईकिल की जप्ती की कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। यद्यपि उक्त साईकिल जप्ती के पूर्व साईकिल की रसीद की जप्ती अन्य पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाना प्रकट होता है।

9— एन.एस. राजपूत (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-17.01.93 को पुलिस थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ होते हुए उसने फागूसिंह से गश्त के समय एक साईकिल हीरो कंपनी की जप्त कर चोरी के संदेह के आधार पर धारा-41(1)(4) द.प्र.सं के अंतर्गत जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-5 गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी फागूसिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि साईकिल चोरी की रिपोर्ट बैहर थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी, बल्कि थाना मलाजखण्ड से भी साईकिल चोरी होने की सूचना नहीं दी गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चोरी के संबंध में आरोपी का मेमोरेण्डम नहीं लिया गया था। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी के पास साईकिल होने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

मामलें में साक्षी ने आरोपी से साईकिल चोरी के संदेह के आधार पर धारा-41(1)(4) द. प्र.सं के अंतर्गत कार्यवाही कर जप्ती पंचनामा तैयार किया है तथा इसके संबंध में यह स्पष्टीकरण भी पेश किया है कि आरोपी ने उक्त साईकिल अपने आधिपत्य में होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी मो. रिया (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटना के समय थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध क्रमांक-06/1993 की केस डायरी विवेचना के लिए प्राप्त होने पर उसने एक बिल जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने सुंदरलाल, निरपतलाल के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है। इस साक्षी का अस्वस्थ होने से अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु साक्षी के कथन धारा-299 द.प्र.सं. की कार्यवाही के अंतर्गत आरोपी के फरार होने के कारण न्यायालय के समक्ष लेख किये गए हैं। ऐसी दशा में साक्षी के उक्त पूर्व कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-33 के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्य है।

12— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा फरियादी सुंदरलाल के आधिपत्य से चोरी गई साईकिल की रसीद प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि खरीददार सुंदरलाल के नाम दिनांक-09.04.1992 का बिल नंबर 86 हीरो जेड ब्लेक फ्रेम नंबर-आर 883006 लिखा है। जप्त किये गए बिल आर्टिकल ए के रूप में फरियादी सुंदरलाल (अ.सा.2) ने उसके आधिपत्य से जप्त किया जाना बताया है। इस प्रकार मामलें में चोरी गई साईकिल फरियादी सुंदरलाल के आधिपत्य की होने के साथ उसके स्वत्व की भी होना प्रमाणित है।

13— मामलें में अज्ञात के विरुद्ध थाना मलाजखण्ड में फरियादी के द्वारा साईकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा उक्त घटना के दो दिन पश्चात् ही थाना बैहर के अंतर्गत थाना प्रभारी द्वारा आरोपी के आधिपत्य से उक्त चोरी की गई साईकिल की जप्ती की गई है। थाना प्रभारी बैहर ने आरोपी से साईकिल चोरी के संदेह के आधार पर धारा-41(1)(4) द.प्र.सं के अंतर्गत कार्यवाही कर जप्ती पंचनामा

तैयार किया है तथा इसके संबंध में यह स्पष्टीकरण भी पेश किया है कि आरोपी ने उक्त साईकिल अपने आधिपत्य में होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी दशा में मामलों के उक्त जप्ती अधिकारी एन.एस. राजपूत अ.सा.4 के द्वारा रोजनामचा सान्हा लेख कर पेश न किया जाना उसकी कार्यवाही की विश्वसनीयता को भंग नहीं करता है तथा बचाव पक्ष को उक्त कमी का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

14— जप्ती अधिकारी एन.एस. राजपूत (अ.सा.4) ने आरोपी के आधिपत्य से हीरो जेड साईकिल फ्रेम नंबर आर 883006 को जप्त किया है, जो कि फरियादी सुंदरलाल के द्वारा प्रस्तुत रसीद आर्टिकल ए एवं रसीद की जप्ती प्रदर्श पी-1 के अनुसार फरियादी सुंदरलाल के स्वत्व व आधिपत्य की चोरी की गई साईकिल होना प्रकट होता है। आरोपी के द्वारा फरियादी सुंदरलाल की उक्त चोरी गई साईकिल को अपने आधिपत्य में होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है। ऐसी दशा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाती है कि आरोपी ने उक्त साईकिल की चोरी की है। इस प्रकार अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

15— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य एवं तथ्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि घटना के समय आरोपी ने मलाजखण्ड अस्पताल से फरियादी सुंदरलाल के आधिपत्य की साईकिल को उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक हटाकर चोरी किया। अतः आरोपी फागूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

16— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

17— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 1993 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वर्तमान में आरोपी अत्यन्त बीमार है। आरोपी के द्वारा मात्र 400/-रूपये की साईकिल की चोरी की गई है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

18— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आरोपी का अभिरक्षा में रहने के दौरान उपजेल बैहर के सहायक जेल अधीक्षक के द्वारा लिखित आवेदन में आरोपी को मधुमेह, उच्च रक्तचाप की बीमारी होने व शारीरिक रूप से कमजोर होने से मुचलके पर रिहा किया जाने का निवेदन कर ईलाज के दस्तावेज पेश किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आरोपी गंभीर रूप से बीमार है। आरोपी मामलों में स्थाई वारंट से गिरफ्तार होने के उपरान्त दिनांक-27.01.15 से आज दिनांक-02.05.15 तक तीन माह से अधिक अवधि से अभिरक्षा में चला आ रहा है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के अंतर्गत प्रकरण में भोगी गई अभिरक्षा दिनांक-27.01.15 से आज दिनांक-02.05.15 तक की 3 माह 5 दिवस की अवधि तक का सादा कारावास से दण्डित किया जाता है।

19— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी दिनांक-27.01.15 से दिनांक-02.05.15 तक अभिरक्षा में है, उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा साईकिल आवेदक सुंदरलाल को सुपुर्दनामें पर दी गई है। अतः उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट